

कार्यालय- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जांजगीर-चांपा (छ0ग0)
District Legal Services Authority, ADR Bulding, Janjgir (C.G.)
Phone- (07817) 299100 Toll Free No- 18002332528
E-mail- dlsa.janjgir@gmail.com

// ज्ञापन //

कमांक / 855/ फा.क.-ए-94/ 2026 जांजगीर,
प्रति,

जांजगीर, दिनांक 19.06.2026

01. श्रीमान् प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, जांजगीर/सक्ती
02. श्रीमान् द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, जांजगीर/सक्ती
03. श्रीमान् पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय जांजगीर
04. श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जांजगीर/सक्ती
05. श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम/द्वितीय श्रेणी (वरिष्ठ/कनिष्ठ श्रेणी)
जांजगीर/सक्ती/चांपा/अकलतरा/पामगढ़/नवागढ़/मालखरौदा/जैजेपुर/डभरा
06. श्रीमान् पीठासीन अधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड (बाल न्यायालय) जिला जांजगीर-चांपा
07. प्रस्तुतकार, श्रीमान् प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जांजगीर
08. प्रस्तुतकार, श्रीमान् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर
09. प्रस्तुतकार, श्रीमान् अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जांजगीर

विषय :- दिनांक 18.07.2026 को आयोजित स्पेशल लोक अदालत हेतु खण्डपीठ गठित किये जाने के संबंध में।

माननीय महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत दिनांक 18.07.2026 को नेशनल लोक अदालत हेतु निम्नानुसार खण्डपीठ का गठन किया गया है :-

जिला न्यायालय जांजगीर

खण्डपीठ क्र०	पीठासीन अधिकारी एवं खण्डपीठ का नाम	सुलहकर्ता अधिवक्ता/सदस्य
01	श्री मुकेश कुमार तिवारी, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) जांजगीर-चांपा (छ0ग0)	श्री दीपक राठौर (मोबाईल नं. 9301974601)
02	श्रीमती अंजू कंवर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, जांजगीर	श्री दिनेश कुमार राठौर (मोबाईल नं. 9302717730)

तालुका विधिक सेवा समिति, सक्ती

खण्डपीठ क्र०	पीठासीन अधिकारी एवं खण्डपीठ का नाम	सुलहकर्ता अधिवक्ता/सदस्य
03	श्री प्रशान्त कुमार शिवहरे, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सक्ती	श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय (मोबाईल नं. 9399139241)

04	कु० अंकिता देवदास, व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ श्रेणी, सक्ती	श्री तिलेश्वर दास महन्त (मोबाईल नं. 9907345393)
----	--	--

तालुका विधिक सेवा समिति, चांपा

खण्डपीठ क०	पीठासीन अधिकारी एवं खण्डपीठ का नाम	सुलहकर्ता अधिवक्ता/सदस्य
05	कु० नम्रता नोरगे, व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रेणी, चांपा	श्री सत्यनारायण देवांगन (मोबाईल नं. 9754725603)

तालुका विधिक सेवा समिति, अकलतरा

खण्डपीठ क०	पीठासीन अधिकारी एवं खण्डपीठ का नाम	सुलहकर्ता अधिवक्ता/सदस्य
06	श्रीमती शिवानी सिंह, व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रेणी, अकलतरा	श्री अमिताभ जैन (मोबाईल नं. 9131183404)

तालुका विधिक सेवा समिति, पामगढ़

खण्डपीठ क०	पीठासीन अधिकारी एवं खण्डपीठ का नाम	सुलहकर्ता अधिवक्ता/सदस्य
07	श्रीमती शीलू केसरी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के अतिरिक्त न्यायाधीश, पामगढ़	श्री श्यामलाल साण्डे (मोबाईल नं. 9993728711)

तालुका विधिक सेवा समिति, नवागढ़

खण्डपीठ क०	पीठासीन अधिकारी एवं खण्डपीठ का नाम	सुलहकर्ता अधिवक्ता/सदस्य
08	श्री सिद्धार्थ आनन्द सोनी, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, नवागढ़	श्री परसराम रात्रे (मोबाईल नं. 9981122480)

तालुका विधिक सेवा समिति, मालखरौदा

खण्डपीठ क०	पीठासीन अधिकारी एवं खण्डपीठ का नाम	सुलहकर्ता अधिवक्ता/सदस्य
09	कु० साक्षी ध्रुव, व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ श्रेणी, मालखरौदा	श्री महेश राम बंजारे (मोबाईल नं. 9754926936)

तालुका विधिक सेवा समिति, जैजेपुर

खण्डपीठ क०	पीठासीन अधिकारी एवं खण्डपीठ का नाम	सुलहकर्ता अधिवक्ता/सदस्य
10	श्री राजेश खलखो, व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ श्रेणी, जैजेपुर	श्री अमर गिरी गोस्वामी (मोबाईल नं. 9202225693)

तालुका विधिक सेवा समिति, डभरा

खण्डपीठ क्र०	पीठासीन अधिकारी एवं खण्डपीठ का नाम	सुलहकर्ता अधिवक्ता/सदस्य
11	श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव सिन्हा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के अतिरिक्त न्यायाधीश, डभरा	श्री खोभराम पटेल (मोबाईल नं. 9406007732)

- (1) दिनांक 18.07.2026 को आयोजित स्पेशल लोक अदालत में उपरोक्तानुसार नामांकित खण्डपीठ के पीठासीन अधिकारी आवश्यकतानुसार स्वयं न्यायालय के 03-04 स्टॉफ की ड्यूटी लगा सकेंगे।
- (2) दिनांक 18.07.2026 को आयोजित स्पेशल लोक अदालत में उपरोक्तानुसार नामांकित खण्डपीठ के सुलहकर्ता अधिवक्ता/सदस्यगण किसी कारणवश अनुपस्थित रहते हों तो उनके स्थान पर ड्यूटी लगाये जाने हेतु जिला मुख्यालय स्तर पर प्राधिकरण के सचिव महोदय के आदेशानुसार अन्य अधिवक्तागण से कार्य लिया जावेगा एवं तालुका स्तर पर विधिक सेवा समितियों के अध्यक्ष के द्वारा उपलब्धता के आधार पर अन्य अधिवक्तागण को कार्य हेतु आदेशित किया जा सकता है। जिनके मानदेय का भुगतान खण्डपीठ में कार्य उपरान्त उपस्थिति प्रतिवेदन के आधार पर ही भुगतान किया जा सकेगा।
- (3) उपरोक्तानुसार गठित खण्डपीठ के पीठासीन अधिकारियों, कर्मचारियों को उनके ही स्थापना (जिला न्यायालय-कार्यालय) से मानदेय भुगतान किया जाना है। केवल अधिवक्ता/खण्डपीठ सदस्यों को उपस्थिति प्रमाण-पत्र के आधार पर नियमानुसार मानदेय राशि का भुगतान इस प्राधिकरण द्वारा किया जा सकेगा। अतः पीठासीन अधिकारियों, कर्मचारियों की लोक अदालत उपस्थिति पत्रक जिला न्यायालय स्थापना को एवं केवल अधिवक्ता/सदस्यों का उपस्थिति पत्रक इस कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।
- (4) गठित खण्डपीठ के पीठासीन अधिकारियों के अवकाश पर होने पर अथवा अन्यत्र स्थानान्तरित होने पर उस खण्डपीठ में राजीनामा के आधार पर रखे गये प्रकरणों की सुनवाई कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर-चांपा के प्रभावी कार्य विभाजन आदेशानुसार संबंधित न्यायिक अधिकारी के खण्डपीठ में की जा सकेगी।

(माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से प्रेषित)

(मनोज कुमार कुशवाहा)
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
जांजगीर-चांपा (छ0ग0)

पृष्ठां क्रमांक/856/फा.क्र.-ए-94/ 2026 जांजगीर,
प्रतिलिपि :-

जांजगीर, दिनांक 19.06.2026

01. कार्यालय श्रीमान् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
02. श्रीमान् अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, सक्ती/चांपा/अकलतरा/पामगढ़/नवागढ़/जैजेपुर/मालखरौदा/डमरा की ओर सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि खण्डपीठ में सदस्य के रूप में नामित अधिवक्ताओं को सूचित किये जाने तथा उनके खण्डपीठ में कार्य करने संबंधी उपस्थिति प्रमाण-पत्र संबंधित खण्डपीठ के पीठासीन अधिकारी से प्राप्त कर प्रेषित किये जाने के संबंध में समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- ✓ 03. सहायक प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग को सूचनार्थ एवं वेबसाइट में अपलोड किये जाने की कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
04. केन्द्रीय पंजीयन शाखा, प्रधान जिला न्यायालय जांजगीर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
05. अधिवक्ता संघ जांजगीर/चांपा/अकलतरा/ पामगढ़/नवागढ़/सक्ती/डमरा/मालखरौदा/जैजेपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
06. अधिवक्ता/सुलहकर्ता की ओर सूचनार्थ एवं संबंधित खण्डपीठ में उपस्थित रहने हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार कुशवाहा) 26

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
जांजगीर-चांपा (छ0ग0)